न्यायालय न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशासन), बीकानेर
पीठासीन अधिकारीः– श्री ए.एच गौरी , आर.ए.एस.

न.मु. एफएसएस एक्ट प्रा.पत्र 14/2016
अनवान :–

श्री हंसराज साध, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर

प्रार्थी

–: बनाम :–

श्री रमेशसिंह पुत्र तेजमालसिंह राजपुरोहित, मैसर्स रमेश मावा भण्डार, मावा पट्टी बड़ाबाजार निवासी खेतेश्वर बस्ती, बीकानेर

अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 26 उपधारा 2 (ii) खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से – श्री महमूद अली, खाद्य सुरक्षा अधिकारी,
2. अप्रार्थी पक्ष की ओर से – श्री महेन्द्र कल्ला अधिवक्ता

–: निर्णय :– **दिनांक 08.01.2019**

1. इस मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी श्री हंसराज साध, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 02.11.2015 को अप्रार्थीपक्ष श्री रमेशसिंह पुत्र तेजमाल सिंह राजपुरोहित निवासी खेतेश्वर बस्ती बीकानेर– मैसर्स रमेश मावा भण्डार, मावा पट्टी, बीकानेर के यहां दुकान पर रखे लोहे के पीपा में करीब 15 किग्रा मावा बेचने हेतु रखा था। तदन्तर मिलावट होने का शक होने पर विक्रेता की सहमति से शुद्धता की जांच के लिये वास्ते नमूना हेतु एक कि.ग्रा. मावा खरीदा। जिसकी कीमत 180/– रूपये नकद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता, गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं प्रार्थी ने हस्ताक्षर किये। प्रार्थी ने खरीदशुदा 1 किलोग्राम मावा को चार बराबर–बराबर बांटकर उसे चार कांच की साफ सुखी शीशीओं में डालकर प्रत्येक में 20–20 फॉर्मेलीन बुंदे डालकर हिलामिला कर उसे एक मजबूत बायुरोधी ढक्कन से कसकर बन्द किया तथा उस पर लेबल फॉर्म जिस पर जे– 1055 इन्द्राज करते हुए तैयार कर उस पर गवाहान व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं प्रार्थी ने हस्ताक्षर किया तथा नियमानुसार प्रत्येक नमूना भाग को सील चपड़ी कर, फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता तथा गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करवाये तथा स्वयं आवेदक ने भी हस्ताक्षर किये। उक्त शीशीयों में से एक सीलबन्द शीशी मुख्य जन विश्लेषक एवं खाद्य विश्लेषक, राज.जयपुर को जांच हेतु भेजी गई। जिनके यहां से दिनांक 09.12.2015 को जांच रिर्पोट प्राप्त हुई। जिसमें मावा सबस्टेण्डर्ड का पाया गया। प्रार्थनापत्र के अनुसार प्रार्थी का निवेदन है कि अप्रार्थी द्वारा सबस्टेण्डर्ड मावा का विकय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। इसलिये धारा 51 के अनुसार खाद्य पदार्थ की क्वालिटी क्रेता की मांग के अनुसार नहीं होने के कारण निर्धारित शास्ति से दण्डित किया जावे ।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

2. उक्ताशय का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीपक्ष को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीपक्ष की ओर से श्री महेन्द्र कल्ला अधिवक्ता ने वकालतनामा एवं जबाब प्रस्तुत किया। चूंकि अप्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रकरण दिनांक 11.02.2017 को राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष रखा गया था। किन्तु उनकी सहमति नहीं होने पर पुनः नियमित सुनवाई में रखा गया। तदन्तर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. प्रार्थी पक्ष की ओर से श्री महमूद अली, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उपस्थित होकर बहस में निवेदन किया कि इस मामले में प्रार्थी निरीक्षक द्वारा अप्रार्थीपक्ष के यहां नियमानुसार तरीके से मावा का सैम्पल लिया जाकर प्रयोगशाला जयपुर में जांच करवाई गई। मुख्य जनविश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिर्पोट के अनुसार इस मामले में Milk Fat content of the finished product (on dry weight basis) Not less than 30.0 % की तुलना में 24.69 % पायी गई है, जो निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं है। इस प्रकार अप्रार्थी के यहां मावा सबस्टेण्डर्ड का पाया गया है जो धारा 26 उपधारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 का उल्लंघन है प्रार्थी निरीक्षक का निवेदन है कि इस मामले में अप्रार्थी को धारा 51 के तहत अधिक से अधिक जुर्माने से आरोपित किया जावे।

4. अप्रार्थी अधिवक्ता ने जवाब में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत परिवाद में समस्त बिन्दुओं को अस्वीकार कर कथन किया कि विक्रेता एक गरीब व ईमानदार व छोटा दुकानदार है जिससे अपने परिवार का पालन पोषण करता है। जो प्रतिदिन लगभग 12–15 किलोग्राम तैयार मावा खरीद कर विक्रय करने का कारोबार करता है। विक्रेता के द्वारा आगे से तैयार मावा खरीद कर विक्रय किया जाता है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं की जाती है तथा न ही विक्रेता के द्वारा कोई मिलावट की गयी। गांव से जैसा तैयार माल आता है वैसे ही विक्रय किया जाता है। विक्रेता द्वारा जहां से मावा खरीदा गया है वहां से पूरी मावा पट्टी में मावा की सप्लाई की जाती है। मावा की पूरी जांच परख करके मावा की खरीद की जानी प्रारम्भ की गयी थी। लेकिन मावा के (Milk Fat Content of the finished product(on dry weight basis) में 30 प्रतिशत होना आवश्यक बताया गया लेकिन विक्रेता के पास स्वयं के पास कोई तकनीक नहीं होने के कारण जांच नहीं की जा सकी। विक्रेता स्वयं सद्भाविक क्रेता है जो माल क्रय कर विक्रय करता है। मावा में जो कमी पायी गयी है वह उत्पादनकर्ता के द्वारा कमी की गयी है। विक्रेता के द्वारा किसी प्रकार से उत्पादित माल में फैट कम नहीं किया जा सकता है। अतः अप्रार्थी को सद्भाविक क्रेता मानकर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसरण में उसके प्रति नरमी का रूख अपनाकर उस पर किसी भी प्रकार का जुर्माना कारित नहीं कर के विरूद्ध की गयी कार्यवाही ड्रॉप फरमायी जावे।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

5. हमने उभयपक्ष के कथन पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने कथन के समर्थन में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का अप्रार्थी द्वारा साक्ष्य आधारित खण्डन नहीं किया है। जिस मावा का सेम्पल लिया गया था वह मावा अप्रार्थी की दुकान में पाया गया था । अप्रार्थी द्वारा उक्त मावा उत्पादन कर आम जनता को विक्रय करता है। पत्रावली में Food Analyst, State Central Public Health Laboratory, Jaipur की दिनांक 09.12.2015 की रिर्पोट संलग्न है इस रिर्पोट के अनुसार अप्रार्थी के यहां पाया गया मावा Milk Fat content of the finished product (on dry weight basis) Not less than 30.0 % की तुलना में 24.69 % पाया गया है जो निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं होने से सब–स्टेण्डर्ड का होना साबित होता है। लिहाजा अप्रार्थी द्वारा सबस्टेण्डर्ड का मावा विकय करके अधिनियम के प्रावधानों 26 (2)(ii) का उल्लंधन किया है । अतः अप्रार्थी द्वारा अधिनियम के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थिति को मध्य नजर रखते हुवे हम अप्रार्थी के इस कृत्य के लिये उन पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत रूपये 5,000/– अखरे रूपये पांच हजार मात्र की शास्ति आरोपित करते है।

6. अप्रार्थी को यह आदेश दिया जाता है कि आरोपित शास्ति राशि एक माह के भीतर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर के कार्यालय के माध्यम से राज्य के आय मद 0210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य में जरिये चालान जमा करावें। निर्धारित अवधि में राशि जमा न होने की अवस्था में धारा 96 के तहत व्यतिक्रमी की अनुज्ञारित निलम्बित की जावें तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वसूली हेतु कानूनी कार्यवाही की जावे।

7. निर्णय आज दिनांक 08.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया । निर्णय की प्रति अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर एवं अप्रार्थी पक्ष के प्राधिकृत प्रतिनिधि (अधिवक्ता) को पालनार्थ एवं आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

(ए.एच.गौरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति. जिला कलक्टर(प्रशा) बीकानेर
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner